



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) सोनीपत ऑफिस : सीजीडी, ससोनीपत-जींद जी ए खसरा नं. 96/4, 5, 6, 7, दिल्ली से अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 44, निकट 58 माईल स्टोन, गांव बर्ही, जिला सोनीपत-131101 (हरियाणा)

## HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES) SONIPAT OFFICE : CGD SONIPAT-JIND, GA, KHASRA NO. 96/4, 5, 6, 7, DELHI TO AMBALA NH-44, NEAR 58TH MILE STONE, VILLAGE BARHI, TALUKA-BARHI-SONIPAT-131101 (HR)  
E-MAIL : abhlmayudas@hpcl.in M +91 9425153117


### UNDERTAKING

विषय :- Diversion of 2.23 ha. Of forest land for laying Natural Gas Pipeline across Forest Lands from NH 352 upto Patiala Chowk and Patiala Chowk to Narwana under forest division and district Jind, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/60527/2020).

संदर्भ :- राज्य वनविभाग द्वारा पत्र न. 9-HRB054/2022-CHA दिनांक:- अगस्त 2023 & वन मण्डल अधिकारी पत्र न. F-I-554/3007 दिनांक 30. 10. 2023

वन मण्डल अधिकारी पत्र न. F-I-554/3007 दिनांक 30. 10. 2023 द्वारा जारी डिमांड नोट की राशि एजेंसी द्वारा वन विभाग की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करा दी गई है जिसका विवरण RTGS UTR No. SBINR52024011295744878 dated 12/01/2024 है। ओर नीचे दिये गए सभी शर्तों का एजेंसी पूर्ण रूप से पालन करेगी।

- i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि **Compartment No. H43Q67, Jind Sonipat Railway Line from Lalit Khera village to Ludana village L&R Side, District Jind** में 4460 पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे।
- v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- vi. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- ix. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- x. पाइप लाइन जमीन के 1.5 मीटर नीचे बिछाई जाएगी और पाइप लाइन डालने के बाद जमीन को समतल किया जाएगा।
- xi. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xiii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- xiv. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xvi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।



- 9/2020
- xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
- xx. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

For Hindustan Petroleum Corporation Limited

  
Abhimanyu Das  
Ch. Magr – Projects, Sales & O&M,  
HPCL CGD Sonipat



53  
53  
137


**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL  
FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT. 2006**


**(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)**

**TITLE OF THE CASE/PROJECT:**

Diversion of 2.23 hec. of forest land for Laying  
Natural Gas Pipeline across Forest lands from  
NH 352 upto Patiala Chowk and Patiala  
Chowk to Narwana under Forest Division &  
District Jind (Hry.)

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recored population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

  
Divisional Forest Officer,  
Forest Division  
Jind

  
5/3/21  
Deputy Commissioner,  
Jind.

**(Full Name and official seal of the District Collector)**

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD, SONIPAT - JIND CGD
Application No.	7260527461
MoEF/SG File No.	9-HRB054-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	HPCL CGD Sonipat-Jind, C/o HPCL Regional Office, E-22, Industrial Area, Court Road, PanipatSonipat
Amount(in Rs)	2135849/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Five Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150697260527461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD, SONIPAT - JIND CGD
Application No.	7260527461
MoEF/SG File No.	9-HRB054-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	HPCL CGD Sonipat-Jind, C/o HPCL Regional Office, E-22, Industrial Area, Court Road, Panipat Sonipat
Amount(in Rs)	2135849/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Five Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150697260527461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

RTGS UTR NO - SBINRS2024011295744878  
Dated - 12/01/2024